न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) चाँदपुर, बिजनौर।

मूल वाद संख्या–28/2012

जाहिद हुसैन आदि बनाम सगीर अहमद आदि।

11.12.2018 वाद पुकारा गया। वादी द्वारा विद्वान अधिवक्ता उपस्थित व प्रार्थनापत्र टी.आई. बढ़ाने हेतु दिया। प्रतिवादी द्वारा कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादी संख्या 1 के प्रस्तावित वारिसान पर की गई पंजीकृत डाक की रसीद कागज संख्या 120–ग पर चस्पा कर पत्रावली पर संलग्न है। इससे ज्ञात होता है कि प्रतिवादी के वारिसान पर नोटिस बजात खास तामील हो चुके हैं जो नियत तिथि कर तामील/अदम तामील न्यायालय को वापस प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के प्रस्तावित वारिसान 1/1 लगायत 1/6 पर तामीली पर्याप्त मानी जाती है। तत्पश्चात् प्रार्थनापत्र 116–क आदेश–22 नियम–3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर वादीगण के विद्वान को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र 116–क आदेश–22 नियम–3 व्यवहार प्रक्रिया के तहत प्रतिवादी सगीर अहमद के वारिसान 1/1 लगायत 1/6 को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सगीर अहमद की दिनांक 18.05.2018 को मृत्यु हो चुकी है। मृतक की मृत्यु की तिथि व उसके वारिसानों के बाबत कोई विरोध नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किये योग्य है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र 116–क स्वीकार किया जाता है। संशोधन नियत तिथि से पूर्व किया जाए। बाद संशोधन पत्रावली 17.01.2019 को वास्ते जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/6 / सुनवाई प्रार्थनापत्र 109–ग हेतु पेश हो। टी.आई. नियत तिथि तक प्रभावी रहेगी।

(विमल प्रकाश आर्य)
सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
चाँदपुर, बिजनौर।